राजस्थान सरकार

# निदेशालय, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ 1 (विविध)स्था/निकाशि/09/5078 दिनांकः– 10.05.12

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर।

विषयः– राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों के संबंध में।

सन्दर्भः–निदेशालय का पत्रांक एफ4(क्षे.का.ज.)/निकाशि/ 2011/188 दिनांक 21.02.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित समस्त कार्मिकों के संबंध में निदेशालय से किये जाने के वाले पत्र व्यवहार में उनके पदनाम के साथ RVRES का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, परन्तु बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि प्रायः अधिकांश प्राचार्यगण उक्त निर्देशो की पालना नहीं कर रहे हैं।

आपको ज्ञात होना चाहिए कि उक्त कार्मिको के संबंध में आप द्वारा किये जाने वाले पत्र व्यवहार में RVRES का उल्लेख नहीं करने के कारण निदेशालय स्तर पर भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा इनके प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब भी होता है, जो कि उचित नहीं है।

अतः आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित करते हुए समायोजित कार्मिकों के पदनाम के साथ RVRES एवं अन्य कार्मिकों के पदनाम के साथ RPSC आवश्यक रूप से अंकित करें।

सनद रहे कि उक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले प्राचार्य/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

( **सुबीर कुमार** )
निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान।